



Constituent Assembly (संविधान सभा)

[Join SelectionWay GS Channel](#)
[Join SelectionWay GS Channel](#)

Shubham Gupta Sir

सामान्य परिचय

- संविधान सभा ⇒ एक ऐसा निर्वाचित या प्रतिनिधि निकाय जो किसी देश के मूलभूत कानूनों तथा राजनीतिक ढांचे का 'समुच्चय, तैयार करता है।
 - अवधारणा - सर हेनरी मैन्
 - प्रथम संविधान सभा
 - फिलाडेल्फिया सम्मेलन (1787, अमेरिका)
 - राष्ट्रीय संविधान सभा (1789, फ्रांस)
- कैबिनेट मिशन — संविधान सभा का गठन (दिसंबर 1946)
 - आधार- अप्रत्यक्ष निर्वाचन व मनोनयन (देशी रियासतें) ⇒ जुलाई 1946

एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रांतीय विधानसभाएँ

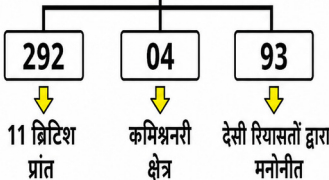
भारत शासन Act 1935 द्वारा 1937 के प्रांतीय चुनाव

- प्रांत व रियासतें - प्रत्येक 10, लाख की आबादी पर एक सीट
- तीन समुदाय - सामान्य, मुस्लिम एवं सिख

संविधान सभा की संरचना

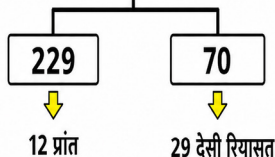
कैबिनेट मिशन 1946

389 सीटें



विभाजन उपरांत

299 सीटें



निर्वाचन

- सामान्य → 213
- मुस्लिम → 79
- सिख → 04
- सर्वभौमिक वयस्क मताधिकार x x x
- अप्रत्यक्ष व सीमित निर्वाचन ✓ ✓ ✓

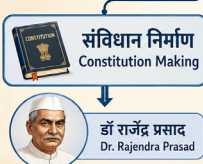
भारतीय स्वतंत्रता अधि 1947 (धारा 8) ⇒ संविधान सभा ⇒ भारत की पहली संसद विधायिका ⇒ दोहरी भूमिका



भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (धारा 8)
Indian Independence Act 1947 (Section 8)



संविधान सभा Constituent Assembly

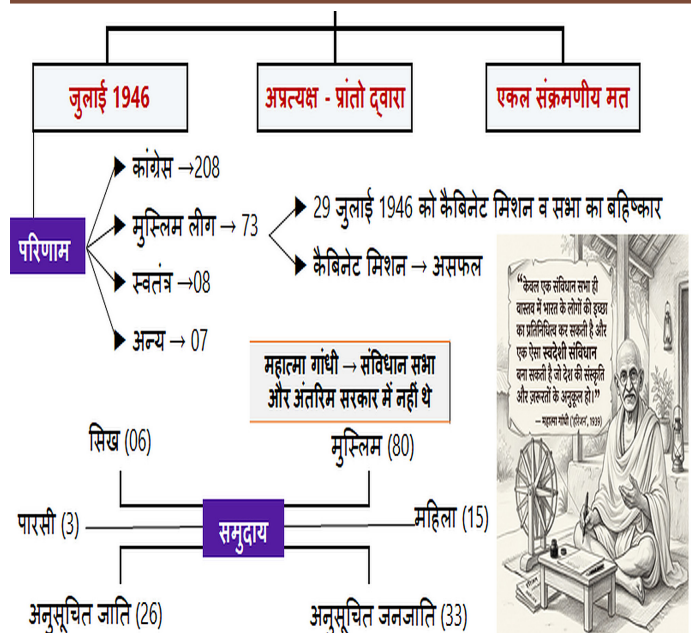


◆ चीफ कमिश्नरी के चार प्रांतों से 4 प्रतिनिधि

- ✓ दिल्ली - देशबन्धु गुप्त
- ✓ अजमेर-मारवाड़ - मुकुट बिहारी लाल भार्गव
- ✓ कुर्ग - सी.एम. पुनांचा (मध्यप्रदेश के राज्यपाल भी रहे)
- ✓ ब्रिटिश बलूचिस्तान - एस. बी. नवाब मोहम्मद खान जोगेजई

Representatives details for the Constituent Assembly

संविधान सभा हेतु निर्वाचन



31 दिसंबर, 1947 को भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता

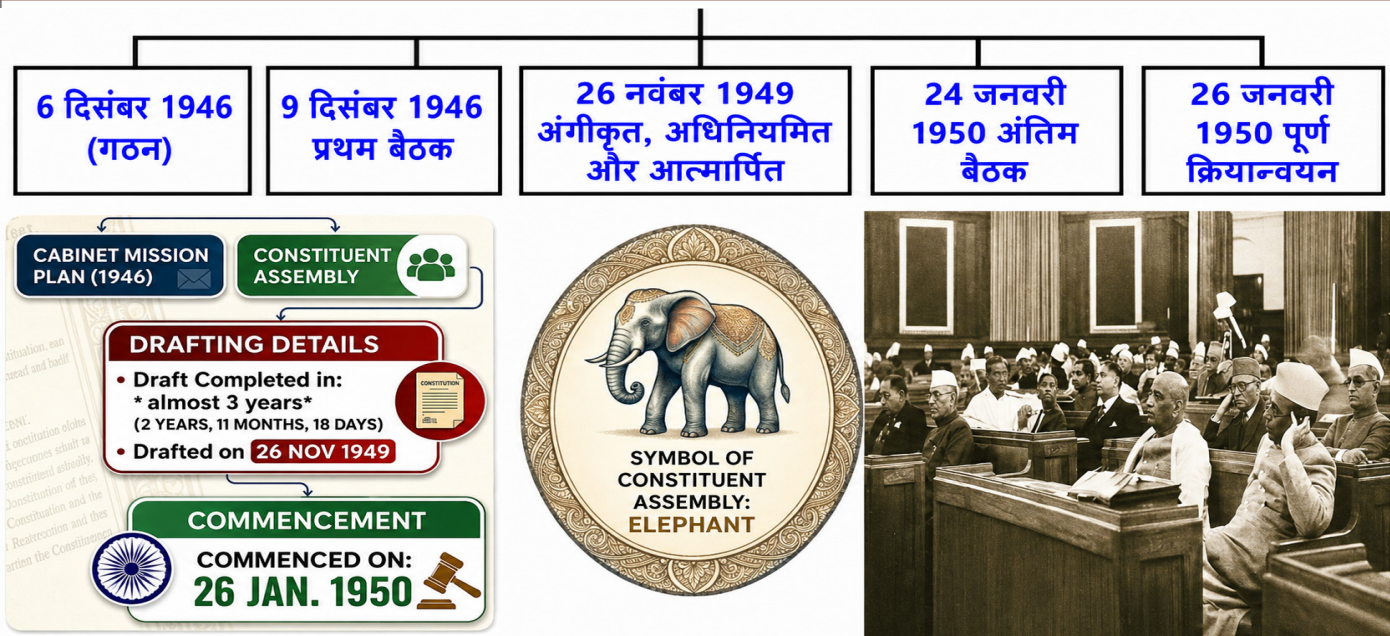
प्रांत 229		29 रियासतें — 70	
राज्य	सदस्यों की संख्या	रियासत / राज्य समूह	सीटें
मद्रास	49	मैसूर	7
बॉम्बे	21	बड़ौदा	3
पश्चिम बंगाल	19	भोपाल	1
संयुक्त प्रांत	55	त्रावणकोर	6
पूर्वी पंजाब	12	कोचीन	1
बिहार	36	ग्वालियर	4
सी.पी. एवं बरार	17	इंदौर	1
असम	8	जयपुर	3
उड़ीसा	9	जोधपुर	2
दिल्ली	1	त्रिपुरा, मणिपुर एवं खासी	1
अजमेर - मारवाड़	1		
कूर्ग	1		

हैदराबाद रियासत से कोई प्रतिनिधि नहीं था

संविधान सभा की महिला सदस्य → 4%

नाम	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	निर्वाचन क्षेत्र
अम्मू स्वामीनाथन	मद्रास	पूर्णमा बनर्जी	संयुक्त प्रांत
एनी बैस्करीन	त्रावणकोर रियासत	राजकुमारी अमृत कौर	मध्य प्रांत और बरार
बेगम एजाज रसूल	संयुक्त प्रांत (मुस्लिम)	रेणुका रे	पश्चिम बंगाल/सामान्य
दक्षिणायनी वेलायुदन	मद्रास (SC महिला)	सरोजिनी नायडू	बिहार
जी. दुर्गाबाई	मद्रास	सुचेता कृपलानी	संयुक्त प्रांत
हंसा मेहता	बॉम्बे	विजयलक्ष्मी पंडित	संयुक्त प्रांत
कमला चौधरी	संयुक्त प्रांत	- संयुक्त प्रांत (United Provinces) से 5 महिलाएँ थीं - भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में 10 महिला सदस्य मौजूद थीं।	
लीला रे	पश्चिम बंगाल		
मालती चौधरी	उड़ीसा		

गठन तथा प्रमुख बैठक



देश	अनुच्छेद	कार्य अवधि	समय
संयुक्त राज्य अमेरिका	7	25 मई, 1787 से 17 सितंबर, 1787	चार माह से कम
कनाडा	147	14 अक्टूबर, 1864 से मार्च, 1867	लगभग 2 वर्ष 6 माह
ऑस्ट्रेलिया	128	1891 से 1900	लगभग 9 वर्ष
दक्षिण अफ्रीका	153	अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909	एक वर्ष
भारत	395	- शुरुआत : 9 दिसंबर 1946 - अंतिम रूप : 26 नवंबर 1949 - लागू हुआ : 26 जनवरी 1950	2 साल, 11 महीने और 18 दिन 11 सत्र

- ✓ 26 नवंबर → संविधान दिवस (राष्ट्रीय कानून दिवस)
- ✓ भारत में संविधान दिवस (Samvidhan Divas) मनाने की आधिकारिक शुरुआत 19 नवंबर 2015 से हुई थी। यह दिन हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है,

सत्र	तिथि
➤ पहला सत्र	➤ 9-23 दिसंबर, 1946
➤ दूसरा सत्र	➤ 20-25 जनवरी, 1947
➤ तीसरा सत्र	➤ 28 अप्रैल - 2 मई, 1947
➤ चौथा सत्र	➤ 14-31 जुलाई, 1947
➤ पांचवां सत्र	➤ 14-30 अगस्त, 1947
➤ छठा सत्र	➤ 27 जनवरी, 1948
➤ सातवां सत्र	➤ 4 नवंबर, 1948-8 जनवरी, 1949
➤ आठवां सत्र	➤ 16 मई - 16 जून, 1949
➤ नवां सत्र	➤ 30 जुलाई - 18 सितंबर, 1949
➤ दसवां सत्र	➤ 6-17 अक्टूबर, 1949
➤ ग्यारहवां सत्र	➤ 14-26 नवंबर, 1949



Did you know?

The Indian Constitution exists in two handwritten versions: one in English and the other in Hindi. It has been preserved in special helium-filled cases at the Central Library of the Parliament.

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है हमारा संविधान

दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है।

हमारे संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद किया गया

संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है।

संविधान सभा की प्रथम बैठक

→ सोमवार → प्रातः 11 बजे → 9 दिसम्बर, 1946 → पहला सत्र (9-23 दिसम्बर 1946)

- संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (कोन्स्टिट्यूशन हॉल), नई दिल्ली
- अस्थायी अध्यक्ष → फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (बिहार)
- आचार्य जे.बी. कृपलानी ने प्रस्तावित किया था
- प्रथम मनोनीत उपसभापति → फ्रेंक एंथोनी (मध्य प्रांत)
- मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया।
- शुभकामना संदेश → संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया
- प्रसन्न देव रेकुट → संविधान सभा के पहले सत्र से पांच दिन पहले, 4 दिसंबर 1946 को उनका निधन हो गया

संविधान सभा की दूसरी बैठक

→ सोमवार → प्रातः 11 बजे → 10 दिसम्बर, 1946

- अस्थायी अध्यक्ष (Temporary Chairman) → डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- मुख्य फोकस → सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक आधार तैयार करना था।
- सभा के आंतरिक 'नियम तय करने' का दिन
- स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया → आचार्य जे.बी. कृपलानी ने एक प्रस्ताव पेश किया

संविधान सभा की तीसरी बैठक

11 दिसंबर 1946

- स्थायी अध्यक्ष का चुनाव → डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- दो उपाध्यक्ष →
 - ◆ हरेन्द्र कुमार मुखर्जी तथा वी. टी. कृष्णमाचारी (जयपुर रियासत)
- संवैधानिक सलाहकार → बी.एन. राव (Benegal Narsing Rau)
- सचिव → एच.वी.आर. अयंगर (हूराव वरदराज आयंगर)
- मुख्य प्रारूपकार (Chief Draftsman) → एस.एन. मुखर्जी
- सुलेखक (Calligrapher) → प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

संविधान सभा की चौथी बैठक

12 दिसंबर 1946

- स्थायी अध्यक्ष → डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- 'उद्देश्य प्रस्ताव' का स्थगन (Postponement of Objective Resolution):
- नियम समिति (Rules Committee) के कामकाज पर चर्चा

संविधान सभा की पांचवी बैठक

13 दिसंबर 1946

- जवाहरलाल नेहरू → 'उद्देश्य प्रस्ताव' → संविधान की आत्मा और मूल दर्शन
- समर्थन → पुरुषोत्तम दास टंडन
- स्वीकृति → 22 जनवरी 1947
- 8 अनुच्छेद
 - ◆ एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य
 - ◆ एकता और अखंडता
 - ◆ राज्यों का संघ (Union) → प्रांतों, रियासतों और उन सभी क्षेत्रों का एक संघ होगा जो इसमें शामिल होना चाहते हैं।
 - ◆ सत्ता का स्रोत → 'जनता'
 - ◆ न्याय और समानता → सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ समानता।
 - ◆ मौलिक स्वतंत्रता → विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा और व्यवसाय
 - ◆ कमजोर वर्गों की सुरक्षा → अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्र
 - ◆ विश्व शांति → भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और पूरी मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देगा।



Available on

